कार्यालय :— जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा।

सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या—09/बि0वि0प0स0—09/2015—51 दिनांक 25.01.2018 के आलोक में राजकीय/राजकीयकृत/परियोजना एवं राष्ट्रय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर उपलब्ध कराने हेतु विषयवार/कोटिवार संशोधित रिक्ति :—

विषय	अनारक्षित	अनारक्षित महिला (क्षैतिज)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला (क्षैतिज)	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जाति महिला (क्षैतिज)	पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग महिला (क्षैतिज)	पिछड़ा वर्ग महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अंग्रेजी	4	2	1	1	1	1	1	1	0	**12**
गणित	4	2	1	1	1	1	1	0	0	**11**
भौतिकीशास्त्र	7	4	3	1	2	1	1	1	1	**21**
रसायनशास्त्र	6	3	2	1	2	1	1	1	1	**18**
वनस्पतिशास्त्र	3	2	1	1	1	0	1	0	0	**9**
प्राणीशास्त्र	1	0	1	0	0	0	0	0	0	**2**
कुल :—	**25**	**13**	**9**	**5**	**7**	**4**	**5**	**3**	**2**	**73**

नोट :— रिक्ति घट—बढ़ सकती है।

सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या—09/बि0वि0प0स0—09/2015—51 दिनांक 25.01.2018 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना के पत्रांक 216 दिनांक 09.04.2018 के आलोक में माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत जिले के विभिन्न नियोजन ईकाईयों में अवस्थित राजकीय/राजकीयकृत/परियोजना एवं राष्ट्रय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों नियोजन ईकाईवार एवं विषयवार पूर्व में स्वीकृत पद के विरूद्ध शिक्षक नियोजन के पश्चात् अवशेष रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों की सेवा निर्धारित पारिश्रमिक पर की जानी है। इस निमित शेष रिक्त पदों का कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या—418 दिनांक 30.09.2002 के आलोक में आरक्षण रोस्टर के अनुसार कोटिवार रिक्ति प्रकाशित की जा रही है। भौतिकशास्त्र एवं रसायनशास्त्र विषय में 01—01 पद अनारक्षित विकलांग के लिए आरक्षित है।

आवेदन पत्र दिनांक 22.05.2018 से 04 जून, 2018 तक कार्यालय अवधि में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहरसा के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा।

चयनित अतिथि शिक्षकों की सेवा विधालय में शिक्षक के नियोजन होने तक ही ली जायेगी।

पात्रता :— किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से निर्दिष्ट विषय में 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नाकोत्तर की योग्यता तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बी0एड0 अथवा अधिनियम लागू होने के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से बी0एड0 की ड्रिग्री माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर—02 में उर्त्तीणता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राथमिकता दी जायेगी। परन्तु गणित, भौतिकी एवं रसायनशास्त्र विषयों की योग्य अभ्यर्थीयों की अनुपलब्धता की स्थिति में अर्हत्ता न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ बी0टेक0 अथवा एम0टेक0 होगी।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
सहरसा।